राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 32/2023 प्रा0पत्र

अनवान

सीता देवी पत्नि भंवर सिंह रावत आयु 45 वर्ष निवासी तलाई का खेड़ा छापली तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... प्रार्थीया

विरूद्ध

1. दिलीप सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी माला जी का छपरा छापली तहसील भीम जिला राजसमंद।
2. वन्ना सिंह पिता चेन सिंह।
3. मोहन सिंह पिता गणेश सिंह।
4. लक्ष्मण सिंह पिता उदय सिंह।
5. लाल सिंह पिता कान सिंह।
6. फेफी देवी पत्नि शेर सिंह ।

    समस्त जाति रावत आयु बालिग निवासी भान्डातों का गुड़ा छापली तहसील भीम जिला राजसमंद।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थितिः—

01. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता, वगै0

02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

निर्णय दिनांकः— 30/10/25

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीया की ग्राम चांदेला की गुवार पटवार हल्का छापली तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित भूमि के खाता संख्या 473 आराजी नम्बर 4302, 4303, 4304 रकबा क्रमशः 0.1133, 0.1781, 0.2185 कुल किता 03 कुल रकबा 0.5099 है0 खाता संख्या 470 आराजी नम्बर 4300 रकबा 0.5666 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर सही सीमा जानकारी चिन्ह नहीं होने से लड़ाई—झगड़ा होता रहता है तथा अप्रार्थीगण जमीन पर काटे डाल रहे है तथा मरने मारने पर उतारू हो रहे है। इस भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह अथवा पत्थर की स्थाई दिवार बनी हुई नहीं है जिससे उक्त आराजियात की सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः उक्त भूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी विपक्षीगण 01 ता 06 अनुपस्थित पाए गए। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी की खसरों की सीमाओं को लेकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है। वकील प्रार्थीया ने प्रकरण में बहस की जिनकी एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीया ने बहस में तर्क दिए कि प्रार्थीया उक्त भूमि की खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है ग्राम चांदेला की गुवार पटवार हल्का छापली की नकल, जमाबंदी वर्ष 2077 में प्रार्थीया सह खातेदार है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चांदेला की गुवार पटवार हल्का छापली तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित भूमि के खाता संख्या 473 आराजी नम्बर 4302, 4303, 4304 रकबा क्रमशः 0.1133, 0.1781, 0.2185 कुल किता 03 कुल रकबा 0.5099 है0 खाता संख्या 470 आराजी नम्बर 4300 रकबा 0.5666 है0 भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी • भीम (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर
भीम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द